औद्योगिक ठेका मज़दूर यूनियन का गठन

फ़रीदाबाद (म.मो.) औद्योगिक मज़दूरों द्वारा अच्छे-खासे संगठन बना लिये जाने से परेशान हो उठे कारखानेदारों ने मज़दूरों का शोषण व अपनी लूट को कायम रखने के लिये मज़दूर भर्ती की एक नई नीति बनाई। इसको नाम दिया गया ठेकेदारी।

जिस कंपनी में कभी 12 हज़ार नियमित श्रमिक होते थे वहां आज मात्र 4000 नियमित व 8000 हज़ार ठेकेदारी श्रमिक हो गये हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि नियमित मज़दूरों के संगठनों ने कभी भी कारखानेदारों की इस चाल को समझने का प्रयास नहीं किया। इसके चलते नियमित मज़दूरों ने ठेकेदारी मज़दूरों को अपने से अलग व हीन बना कर रखा। इसके परिणामस्वरूप नियमित श्रमिक लुप्त होते जा रहे हैं और उनकी जगह ठेकेदारी, कैजुअल व ट्रेनी श्रमिक लेते जा रहे हैं। श्रम कानूनों के अनुसार ठेकेदारी मज़दूर केवल अनिश्चित एवं अनियमित कामों के लिये रखे जा सकते हैं न कि स्थाई तथा नियमित कामों के लिये। इन हालात में लाबारिश समझे जा रहे इन ठेकेदारी मज़दूरों को संगठित करने की बहुत अधिक आवश्यकता थी। अब इस महत्वपूर्ण काम को इन्कलाबी मज़दूर केन्द्र ने अंजाम दिया है।

आप सभी को जान कर खुशी होगी कि 2 सितम्बर, 2018 को सामुदायिक भवन सेक्टर-24 में बुलाई गयी मज़दूर सभा सफल रही। मज़दूर सभा में औद्योगिक ठेका मज़दूर युनियन का गठन किया गया। ठेका मज़दूरों की नयी यूनियन के सदस्यों में से एक कमेटी (कैबिनेट) का चुनाव किया गया है।

यह यूनियन ठेका मज़दूरों के सभी तरह के शोषण के खिलाफ़ संघर्ष करेगी। यूनियन मज़दूरों के हितों की रक्षा के लिये काम करेगी। सभी सरकारें मज़दूरों को मिले श्रम अधिकारों को खत्म करती जा रही हैं तथा मज़दूरों के श्रम की लूट के लिये पूंजीपतियों को खुली छूट दे रही हैं। सरकार की मज़दूर विरोधी नीतियों के कारण पूरे देश में ठेकेदारी प्रथा भयंकर दानव की तरह बढ़ रही है। ठेकेदारी के मज़दूरों का निर्मम शोषण किया जा रहा है। फ़रीदाबाद में लगभग 10 लाख से अधिक मज़दूर काम करते हैं। यहां की जेसीबी तथा एस्कॉर्ट्स जैसी बड़ी कम्पनियों में स्थाई मज़दूरों को 70 हज़ार से डेढ लाख रुपये तक मासिक वेतन मिलता है। जबकि इन्ही कम्पनियों में स्थाई मज़दूरों जैसा काम करने वाले ठेका मज़दूरों को मात्र 8 से 12 हज़ार रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। छोटी कम्पनियों में भी समान काम का समान वेतन नहीं दिया जाता है। यहां पर भी ठेका मज़दूरों से 12 घंटा काम के बदले मात्र 7 हज़ार से 10 हज़ार के बीच मासिक वेतन मिलता है। जबकि स्थाई मज़दूरों को इससे अधिक मिलता है। महिला मज़दूरों की हालत और खराब है। महिला मज़दूरों से मात्र साढे चार-पांच हजार रुपये मासिक वेतन पर काम कराया जा रहा है।

आजकल कम्पनियों में डायरेक्ट भर्ती नहीं हो रही है। लेकिन कम्पनी के लिये गेट पर ही ठेकेदार मज़दूरों की भर्ती करते हैं। ठेकेदारों के ऑफ़िस तथा घर के बारे में ठेका मज़दूरों को कुछ भी पता नहीं होता है। बहुत बार ठेकेदार ईएसआई, पीएफ़ का पैसा काट लेते हैं, किन्तु जमा नहीं करते व मज़दूरों को कमाया हुआ वेतन भी लेकर भाग जाते हैं। ऐसी मनमानी सरकार व श्रम विभाग के संरक्षण के बिना सम्भव नहीं है।

कम मज़दूरी मिलने तथा राशन, शिक्षा तथा ईलाज के महंगे होने के कारण मज़दूरों को जिंदगी चलाना मुश्किल हो रहा है।

फ़रीदाबाद में ठेका मज़दूरों के बीच बढ़ते शोषण के खिलाफ़ दबे-छुपे आवाज़ उठती रहती है कि यहां कम्पनियों में काम करने वाले ठेका मज़दूरों की एक लड़ाकू यूनियन बनाई जाय। इसी कड़ी में 2 सितम्बर को हमने जागरूक मज़दूरों की पहल पर 'औद्योगिक ठेका मज़दूर यूनियन' का गठन किया है।

साथियो, आईए हम सब एक जुट होकर यूनियन की ताकत बढ़ायें तथा अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ़ संघर्ष खड़ा करें। हम अपनी मांग को सामूहिक रूप से डी.एल.सी., फ़रीदाबाद तथा श्रम मंत्री हरियाणा के समक्ष प्रस्तुत करें।

हमारी मांगे:

1. ठेका प्रथा (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, का पालन कर स्थाई प्रकृति के कामों पर कार्यरत सभी ठेका मज़दूरों को स्थाई करो।

2. स्थाई नौकरियों की व्यवस्था की जाये तथा समान काम का समान वेतन दिया जाये।

3. सभी ठेका मज़दूरों को ईएसआई व पीएफ़ की सुविधा दी जाये एवं ईएसआई कार्ड पीएफ़ एकाउन्ट नम्बर तथा पे स्लिप दिया जाये।

4. महिला मज़दूरों को समान काम का समान वेतन दिया जाये।

5. स्वास्थ्य सेवाओं का निजिकरण बन्द किया जाये एवं सभी मरीजों को नि:शुल्क व उपयुक्त ईलाज की सुविधा दी जाये।

6. शिक्षा का निजीकरण बन्द किया जाये एवं सभी बच्चों को नि:शुल्क व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दी जाये।

7. मज़दूरों को वेतन सहित सभी लाभों की पूर्ति के लिये मुख्य नियोक्ता कम्पनी की जिम्मेदारी सुनिश्चत की जाये।

8. न्यूनतम वेतन 25000 रुपये किया जाये।

9. ओवर टाईम का डबल (दो गुना) भुगतान किया जाये।

10. दुर्घटना मुआवज़ा सहित सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जाये।

11. कम्पनियों में स्थाई मज़दूरों की यूनियन में ठेका मज़दूरों को भी सदस्य बनने, पदाधिकारी बनने के कानूनी अधिकार को लागू किया जाये।

12. हम मज़दूरों का वेतन महीने की 7 से 10 तारीख के बीच भुगतान किया जाये। वेतन सीधा बैंक खातों में भेजा जाये।

13. सभी ठेका मज़दूरों को बोनस अधिनियम के तहत निर्धारित बोनस दिया जाये।

14. वर्कशॉपों/ कम्पनियों में श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करो।

15. संगठित होना हमारा मौलिक अधिकार है। संगठित होने के अधिकार पर हमला करना बंद किया जाये।

क्रान्तिकारी अभिवादन के साथ

औद्योगिक ठेका मज़दूर यूनियन इकाई, फ़रीदाबाद

कार्यक्रम : प्रदर्शन तथा ज्ञापन

मंगलवार, दिनांक 16 अक्टूबर, 2018

समय:प्रात: 11.00 बजे

स्थान.श्रम विभाग, नई बिल्डिंग, सेक्टर-12, फ़रीदाबाद

-सम्पर्क सूत्र:-

मनोज: 9811000536, नितेश: 9773674501

विकास दलाल ने दिखाया सिस्टम को आईना

फ़रीदाबाद (म.मो.) गत सप्ताह बीके अस्पताल में इलाज के नाम पर आये कुख्यात अपराधी ने पुलिस हिरासत से फ़रार होने से पहले सारे सिस्टम को अच्छे से समझ लिया था। करीब एक वर्ष तिहाड़ जेल में रहने के बाद 4-5 माह पूर्व ही वह नीमका जेल में आया था। इस दौरान उसने अस्पताल जाने वाले बंदियों से यह अच्छी तरह से समझ लिया था कि वहां तक जाने-आने की क्या व्यवस्था होती है? पुलिस गार्द की संख्या व उनकी मुस्तैदी कितनी होती है?

सर्वविदित है कि जो सबसे बढिया व समझदार इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर होते हैं उन्हें थाने चौकियों का प्रभारी लगाया जाता है। इसी तर्ज पर निचले कर्मचारियों को भी तैनाती मिलती है। दूसरी ओर जिन्हें सबसे निकृष्ट एवं बेकार समझा जाता है अथवा किसी को सज़ा देनी होती है उसे जेल से कैदी लाने-ले जाने पर रखा जाता है। इनमें आधे से अधिक 45 वर्ष से अधिक व कई तो 55 से भी अधिक आयु के होते हैं। लेकिन बुजुर्ग और जवान पुलिसकर्मियों का जो तालमेल होना चाहिये उसका नितांत अभाव रहता है। यदि यह तालमेल सही होता तो 26 वर्षीय विकास दलाल का हाथ 45 वर्षीय एएसआई सुनील की बजाय कोई 25-30 वर्षीय जवान ही पकड़ कर चलता।

सयाने पुलिस अफ़सर इस तरह के जवान और वह भी ऐसे कुख्यात अपराधी को स्पोर्टस शूज पहना कर कभी अपने साथ लेकर नहीं चलते। जेल के अंदर भी फ़ीते वाले जूते पहनने पर रोक-टोक रहती है। वहां बेशक इसका कोई खास महत्व नहीं लेकिन बाहर ले जाते वक्त जरूर इसका महत्व खास हो जाता है। सीसी टीवी फ़ोटो दर्शाते हैं कि भगोड़े अपराधी ने भागने में मददगार स्पोर्टस शूज पहने थे। जबकि एएसआई सुनील ने साधारण जूते।

बहुत अधिक सम्भावना इस बात की है कि उसने फ़रार होने की योजना तो बहुत पहले से ही बना ली थी लेकिन अस्पताल पहुंचने की सूचना उसी दिन दी हो। सूचना देने के लिये जेल के अंदर चोरी-छिपे मौजूद मोबाइल फ़ोन के अलावा जेल में मौजूद एसटीडी बूथ का भी इस्तेमाल संभव हो सकता है। जेल के किसी वार्डर को 1000-500 रुपये देकर भी यह सूचना बाहर भेजे जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार किसी को भी ललचा सकता है। इसलिये उस समय जेल में मौजूद वार्डरों के फ़ोन काल्स की डीटेल भी चेक की जानी चाहिये। यह भी संभव है कि दलाल को भगा कर ले जाने वाला उसका साथी कई बार पहले भी उसके इन्तज़ार में अस्पताल का चक्कर लगा चुका हो। कुल मिलाकर सारी व्यवस्था में ही जगह-जगह खामियां हैं। जब तक सारी खामियों को दूर करके पूरे सिस्टम को चुस्त-दुरुस्त नहीं किया जायेगा दलाल जैसे कुख्यात यूं ही पैदा भी होते रहेंगे और भागते भी रहेंगे।

शिव टूल्ज़ इंजीनीयरिंग के टुकड़ों पर पलने वाली व्यवस्था से माया को न्याय मिलना कठिन

फ़रीदाबाद (म.मो.) 30 सितम्बर -6 अक्तूबर के अंक में इस कम्पनी की एक महिला श्रमिक माया की दर्द भरी कहानी प्रकाशित की गयी थी। कम्पनी में 400 से 600 तक महिला व पुरुष श्रमिक काम करते हैं। सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन के नाम पर कुशलतम श्रमिक को भी अकुशल हैल्पर का वेतन दिया जाता है इस वेतन में से भी पीएफ़ व ईएसआई के नाम पर कटौती करके डकारा जाता है वह अलग से। कुशल श्रमिकों के स्थान पर हैल्परों से मशीनें चलवाने के प्रयास में अनेकों मज़दूर यहां विक्लांग हो जाते हैं तो उन्हें पुलिस की मिलीभगत से भगा दिया जाता है बिना किसी इलाज व मुआवजे के। लेकिन इस बार विक्लांग हुई महिला माया डर कर भागी नहीं बल्कि डट के खड़ी हो गयी है। 9 फ़रवरी 2013 को काम पर बतौर हैल्पर लगी माया को 3 अगस्त 2016 को एक हैबी प्रेस पर लगा दिया जिसके बारे में वह अनजान थी। परिणामस्वरूप उसका बांया हाथ प्रेस में फ़ंस कर कट गया। पूरी हथेली कट गयी केवल एक अंगूठा मुश्किल से बच पाया।

ईएसआईसी अस्पताल में ले जाया गया तो वहां हकदारी नहीं मिली क्योंकि कंपनी ने इस पर काटा पैसा जमा ही नहीं कराया था। इसलिये तुरंत एस्कार्ट मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया। लेकिन मजे की बात यह हुई कि 2 दिन बाद हकदारी निकल आई। वह भी पिछली तारीख से। जानकार बताते हैं कि इस चमत्कार के लिये ईएसआईसी के सम्बन्धित बाबू को 8000 रुपये की रिश्वत कम्पनी ने दी थी। इसके चलते विक्लांग हो चुकी माया की 2700 रुपये मासिक पेंशन हो गयी।

मामले को रफ़ा-दफ़ा करने व दबाये रखने के उद्देश्य से उस वक्त तो मालिकान ने एक जबानी समझौता करके माया को नौकरी पर रख लिया। परंतु बाद में विक्लांग श्रमिक को बोझ समझ कर उससे छुटकारा पाने के लिये कम्पनी ने उसे तरह-तरह से तंग करना शुरू कर दिया। वेतन में कटौती करना, बोनस न देना जबरन ओवर टाइम पर रोकना और बेवजह टोका-टाकी करना आदि-आदि। इन सबको जब माया सहन करती रही तो दिनांक 14 सितम्बर 2018 को उसे शाम को जबरन ओवर टाइम पर रोका जबकि उसके विभाग में और कोई भी श्रमिक काम पर नहीं था। उसके अकेले होने का नाजायज लाभ उठाने का प्रयास करते हुये कम्पनी के एक खास कारिंदे महेन्द्र ने माया को दबोचना चाहा। लेकिन माया जैसे-तैसे छूट कर चिल्लाती हुई बाहर भाग आई और अपने घर पर फ़ोन किया तो उसका 16 वर्षीय बेटा फ़ैक्ट्री गेट पर पहुंच गया। वहां से वह मां को लेकर डबुआ चौकी पहुंचा लेकिन कंपनी के हाथों बिकी पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की।

काफ़ी प्रयासों के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो इनेलो नेता जगजीत कौर पन्नू के नेतृत्व में 28 सितम्बर को महिलाओं ने जम कर घंटों तक डबुआ थाने पर प्रदर्शन किया। मजबूरन पुलिस ने माया की शिकायत पर आईपीसी की धारा 354 व 506 के तहत एफ़आईआर नम्बर 74 दर्ज कर ली। दिखावे के लिये आरोपी महेन्द्र को थाने बुला कर बैठा लिया और कहा कि गिरफ़्तारी हो गयी। लेकिन वास्तव में आरोपी महेन्द्र से पिछली तारीख (14 सितम्बर) में एक झूठी दरखास्त माया के विरुद्ध लेकर आईपीसी की धारा 147,149,323 व 506 के अंतर्गत एक एफ़आईआर नम्बर 75 दर्ज कर ली। इस तरह पुलिस ने पीड़ित माया के विरुद्ध क्रॉस केस बना कर कम्पनी से खाई हुई रिश्वतों का हक अदा कर दिया और इसके बाद महेन्द्र (आरोपी) को भी छोड़ दिया। अब पुलिस केस को रफ़ा-दफ़ा करने के जुगाड़ बना रही है।

पीड़ित महिला जब इस बाबत सीपी के सामने पेश होने गयी तो वहां के स्टाफ़ ने उसे डीसीपी के पास भेज दिया। डीसीपी ने उसे एसीपी मुजेसर के पास भेज दिया और उन्होंने मामला उसी थाना प्रबन्धक को सौंप दिया जिसके विरुद्ध माया की शिकायत थी। कुछ दिन और इन्तजार करने के बाद यदि जरूरत हुई तो माया के समर्थन में महिला मोर्चा सीपी कार्यालय पर प्रदर्शन करने की योजना बना रहा है।

सीवरेज बिखेरते टैंकरों पर नगर निगम का अंकुश (?)

फ़रीदाबाद (म.मो.) सीवरेज की व्यापक व्यवस्था न होने के चलते शहर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उन टैक्टर टैंकरों पर निर्भर है जो उनके घरों अथवा सोसायटियों में बने सैपिक टैंकों से सीवेज (मल-मूत्र) भर कर बाहर इधर-उधर या आगरा व गुड़गांव नहर में डालते हैं। इन दोनों नहरों में इसे डालना मना है इसलिये नियमित रूप से बेरोक-टोक इन नहरों में डालते रहने के लिये ट्रैक्टर चालक सम्बन्धित कर्मचारी से 'सैटिंग' कर के उसे भी चुग्गा-पानी दे देते हैं। जो इससे भी बचना चाहते हैं। वे मौका देख कर कहीं भी खुले में अपने टैंकर खला देते हैं।

यह समस्या पुरानी कच्ची एवं कॉलोनियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि नवनिर्मित ग्रेटर फ़रीदाबाद की भी है। यहां बनी सैंकड़ों सोसायटियों में आबाद करीब 50 हज़ार फ्लैटवासी भी इन्हीं टैंकरों पर निर्भर हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने सैंकड़ों करोड़ बतौर ईडीसी लेकर तो डकार ली परन्तु बाहरी मुख्य सीवर लाइन नहीं डाली। इसके चलते इन लोगों को रोज़ाना हज़ारों रुपये इन ट्रैक्टर वालों को देकर अपने सैप्टिक टैंक खाली कराने पड़ते हैं। ट्रैक्टर वाले पैसे तो लेते हैं कहीं दूर जाकर डालने के लेकिन डाल देते हैं सोसायटियों के आस-पास खाली पड़े प्लॉटों में। इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में जगह-जगह सड़े पानी के छोटे-छोटे तालाब से बन गये हैं। जाहिर है इनसे प्रदूषण व बीमारियां तो फ़ैल ही रही हैं, भूजल भी प्रदूषित हो रहा है।

हरामखोरी व रिश्वतखोरी के लिये बने नगर निगम ने अब घोषणा की है कि खुले में टैंकर खलाने वाले ट्रैक्टर चालक पर 300 रुपये का जुर्माना किया जायेगा। वह 100 रुपये की फ़ीस देकर अपना टैंकर बादशाहपुर के ट्रीटमेंट प्लांट पर खला सकता है। अब कोई पूछे इन अक्ल के दुश्मनों से कि वह काहे को तो तो किसी को 300 रुपये जुर्माना देगा और काहे को 100 रुपये की फ़ीस देगा जब 10-20 रुपये की रिश्वत देने से काम चलता हो तो। हां इस घोषणा से 10-20 की रिश्वत लेने वाले के भाव थोड़े और बढ़ कर 40-50 रुपये हो जायेंगे।

वैसे यह बात भी समझ से परे है कि उक्त जुर्माना अथवा फ़ीस का प्रावधान करने वाली सरकार सीवरेज व्यवस्था को सुचारू और सबके लिये सुलभ कराने का अपना दायित्व क्यों नहीं निभाती? इतना ही नहीं बेशर्मी की हद तो यह हो गयी कि टैंकर को खलाने कोई बादशाहपुर ट्रीटमेंट प्लांट पर जाये और 100 रुपये की फ़ीस भी दे,क्यों दे और किस बात की दे? क्या इसका निस्तारण उस नगर निगम का दायित्व नहीं है जो जनता से हज़ारों करोड़ का टैक्स डकार रहा है?